<u>2014 का विधेयक संख्या 10</u>

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम परिवर्तन करने और शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम परिवर्तन.- (1) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 29), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबन्ध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उस विश्वविद्यालय के यथा-परिवर्तित नाम से उसके प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरन्तरता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

3. संशोधन.- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम, इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से, संशोधित हो जायेगा।

(2) उप-धारा(1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

4. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.- मूल अधिनियम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 के रूप में प्रोद्धृत किया जायेगा।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

दीर्घ नाम.- दीर्घ नाम में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 1.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 2.- विद्यमान खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ण) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अभिप्रेत है;"।

धारा 3.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विद्वान् पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बौद्धिक उपलब्धियों को देखते हुए और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए, राज्य सरकार ने शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के रूप में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव करने का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

कालीचरण सराफ,

प्रभारी मंत्री।

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 29) से लिये गये उद्धरण

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

XX XX XX

XX XX XX

दीर्घ नाम.- राजस्थान राज्य में सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

XX XX XX XX

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 है।

(2) से (3) XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (ढ) XX XX XX XX

(ण) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अभिप्रेत है;

(त) XX XX XX XX

3. विश्वविद्यालय का निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति,जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) से (4) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

<u>Bill No. 10 of 2014</u>

THE SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (CHANGE OF NAME) BILL, 2014

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to change the name of the Shekhawati University, Sikar and to make certain amendments in the Shekhawati University, Sikar Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Shekhawati University, Sikar (Change of Name) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Change of name of the Shekhawati University, Sikar.- (1) The name of the Shekhawati University, Sikar incorporated under the Shekhawati University, Sikar Act, 2012 (Act No. 29 of 2012), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.

(2) Any reference to the Shekhawati University, Sikar in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Amendment.- (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the Schedule to this Act.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

4. Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Act, 2012.

THE SCHEDULE
(See section 3)

Long Title.- In long title, for the existing expression "*Shekhawati University at Sikar*", the expression "*Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University at Sikar*" shall be substituted.

Section 1.- In sub-section (1), for the existing expression "the Shekhawati University, Sikar", the expression "the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar" shall be substituted.

Section 2.- For the existing clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

"(o) "University" means the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar incorporated under section 3;".

Section 3.- In sub-section (1), for the existing expression "the Shekhawati University, Sikar", the expression "the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the intellectual achievements of the Scholar Pandit Deendayal Upadhyaya and to keep his memory immortal the State Government has decided to propose to change the name of the Shekhawati University, Sikar to Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

कालीचरण सराफ,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR ACT, 2012
(Act No. 29 of 2012)

XX XX XX XX

Long Title.- *An Act to establish and incorporate Shekhawati University at Sikar in the State of Rajasthan and to provide for the matters connected therewith or incidental thereto.*

XX XX XX XX

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Shekhawati University, Sikar Act, 2012.

(2) to (3) xx xx xx xx

2. Definitions.-In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) to (n) xx xx xx xx

(o) "University" means the Shekhawati University, Sikar incorporated under section 3;

(p) xx xx xx xx xx

3. Incorporation of the University.- (1) The Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first members of the Board of Management and the Academic Council of the University and all persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership shall constitute a body corporate by the name of "the Shekhawati University, Sikar" and shall have perpetual succession and a Common Seal and may, by that name, sue and be sued.

(2) to (4) xx xx xx xx

XX XX XX XX

<u>2014 का विधेयक सं.10</u>

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम परिवर्तन करने और शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,

विशिष्ट सचिव।

(कालीचरण सराफ, **प्रभारी मंत्री**)

<u>Bill No. 10 of 2014</u>

THE SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (CHANGE OF NAME) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to change the name of the Shekhawati University, Sikar and to make certain amendments in the Shekhawati University, Sikar Act, 2012.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Kali Charan Saraf, **Minister-Incharge**)